No.7(6)/2006-IPR.I (IPAB) Government of India, Ministry of Commerce & Industry Department of Industrial Policy and Promotion (IPR.I Section)

Udyog Bhavan, New Delhi Dated: 22nd ,February, 2011

To
Shri Prasant Reddy T,
Research Associate to
Professor Shamnad Basheer
Ministry of HRD Chair on IPR Laws
West Bengal, National University of Juridical Sciences,
NUJS Bhavan, 12 LB Block,
Salt Lake City, Sector III
Kolkata-700098, India

Sub:- RTI Application under Section 6 of seeking information pertaining to salaries, allowances and pensions of the IPAB, Members(ie. Chairperson, Vice-Chairperson, Technical Member and Judicial Members).

Sir

I am to refer to your application dated 30th December, 2010 and subsequent letter dated 11th February, 2011 received in this Department on 14th February 2011(depositing the requisite fees for photocopies of the documents) on the subject cited above and to send herewith the requisite information/ photocopies of documents as desired.

2. In case you are aggrieved by the reply, you may within 30 days from the receipt of the same, prefer an appeal to the Appellate Authority Shri V. Bhaskar, Joint Secretary, Department of Industrial Policy & Promotion on the above address.

Yours faithfully,

(Chandni Raina)

Director &CPIO Tele fax 011-23063596

Copy to RTI Section with reference to their Note No.I-34012/1/2011-RTI dated 4.1.2011.

Reply sought under RTI Act, 2005

Salaries, Allowances and Pension of the IPAB, Members

SI No.	Queries	Clarification of the Department
1	What is the procedure by which the DIPF fixes the salaries, allowances and pensions of the IPAB Members(i.e. Chairperson Vice-Chairperson, Technical Members and Judicial Members)	A post of Chairman (Rs.30,000/- Fixed) Vice-Chairman (Rs.26,000/- Fixed) an
	Judicial Members)	Yes. The Intellectual Property Appellate Board(Salaries and Allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules
	If the answer to the above is in the affirmative, please provide a photocopy of the same.	2003 and Amendment Rules, 2007. The copies of both Rules are annexed.

Department of Expenditure (E-Coord. (I) Branch) The proposal from the D/o Industrial folicy & Promotion for creation of 32 posts for setting up of Intellectual Property Appellate Board under the Trade Marks Act, 1999 has been considered. This Ministry agrees to the creation of ollowing 27 posts in view of the he justification provided :ty as Chairman Rs.30000/- Fixed 1 . Vice Chairman Rs.26000/- Fixed Member 22400-24500 6500-10500 Court Officer 6500-10500 .11 Steno Grade-B 6500-10500 of Deputy Registrar 10500-15200 ' 1 Steno Grade-C 11 5000-8000 UDC/LDC 4000-6000/ e 2. 3050-4590 Assistant 4500-7000 UDC 4000-6000 LDC (3050.1-.4590) 3 * : (*out of which 1 for Hindi) · Accountant 5500-9000 Sr. Hindi Trsltr. 5500-9000 1 . Lib&Info Officer 6500-10500 Daftry 2650-4000 Peon 2550-3200 Staff Car Driver 3050-4590 (& To be created once vehicles are sanctioned) 27 This issues with the approval of the Finance Minister. Hannishex Manmohan Kaur DO (C) D/o IP&P (Finance Wing)
MOF(Exp) I.D.No.1824/E-Coord.(I)/2000 Dated | Nov. 2000

अनिर्दा का र जिपश The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 433] No. 4331

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 24, 2007/अश्विन 2, 1929 NEW DELHI, MONDAY, SEPFEMBER 24, 2007/ASVINA 2, 1929

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2007

सा.का.नि. 623(अ).—साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 22 के साथ पठित व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 (1999 का 47) की धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कतिपय नियमों का प्रारूप भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 13 (अ) तारीख 11 जनवरी, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैतालिस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और, पूर्वोक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां 11 जनवरी, 2005 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और, जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 (1999 का 47) की धारा 157 की उप-धारा (2) के खंड (29) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शतेंं) नियम, 2003 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को

संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2007 है।

- (2) ये 15 सितम्बर, 2003 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
- 2. बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शतें) नियम, 2003 जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में,-
- (i) मूल नियमों के नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--
 - 5. "खुटटी.—(1) अपील बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, निम्नलिखित रूप में छुट्टी लेने का हकदार होगा:
 - (i) सेवा के प्रत्येक संपूरित कलेण्डर वर्ष या उसके किसी भाग के लिए तीस दिन की दर पर उपार्जित छुट्टी;
 - (ii) सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष की बाबत बीस दिन की दर पर चिकित्सा प्रमाणपत्र या निजी काम के आधार पर अर्ध वेतन छुट्टी और अर्ध वेतन छुटटी के लिए छुट्टी, सम्बलम् उपार्जित छुट्टी के दौरान अनुज्ञेय छुट्टी संबलम के आधे के समतुल्य होगा ;
 - (iii) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, या सदस्य के विवेकानुसार अर्ध वेतन पर छुट्टी को पूर्ण वेतन छुट्टी में परिवर्तित किया जा सकता है परन्तु यह तब तक वह चिकित्सीय आधारों पर ली गई हो और सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी के चिकित्सा प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित की गई हो ;
 - (iv) पद की अवधि में एक सौ अस्सी दिनों की अधिकतम कालावधि तक वेतन और भत्तों के बिना असाधारण छुट्टी।

- (2) अपील बोर्ड में अपनी पदावधि की समाप्ति पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य अपने खाते में जमा उपार्जित छुट्टी के संबंध में छुट्टी के सम्बलम् के समतुल्य नकद प्राप्त करने का इस शर्त के अध्यधीन हकदार होगा कि इस नियम के अधीन, यथास्थिति, अधिकतम छुट्टी की मात्रा जिसकी नकद रकम प्राप्त की गई है और पिछली सेवा से सेवानिवृत्ति के समय तक एक साथ मिलाकर किसी भी दशा में 300 दिन से अधिक नहीं होगी।"
- (ii) मूल नियमों के नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
 - "6क पेंशन:(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में अपील बोर्ड में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति पेंशन का हकदार होगा, परंतु ऐसे व्यक्ति को पेंशन देय नहीं होगी यदि उसे अधिनियम की धारा 89 की उप-धारा (2) के अधीन पद से हटा दिया गया है।
- (2) उप-नियम (1) के अधीन पेंशन की संगणना सेवा के प्रत्येक संपूरित छह मास की अवधि के लिए दो हजार तीन सौ अठ्ठावन रुपए प्रतिवर्ष की दर पर की जाएगी:

परंतु इस नियम के अधीन देय पेंशन की कुल रकम, जिसके साथ पेंशन के सारांशित भाग, यदि कोई हो, सिहुत पेंशन की ऐसी रकम भी है, जो अपील बोर्ड में पद धारण करते समय प्राप्त की गई है, या जिसके प्राप्त करने का वह हकदार है, उच्च न्यायालय के न्यायधीश के लिए विहित पेंशन की अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह और कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर या बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शतेंं) संशोधन नियम, 2007 के प्रवृत्त होने के एक मास के भीतर जो भी पश्चात्वर्ती हो, इन नियमों के अधीन अपने पेंशन के अधिकार को छोड़ देने का चयन कर सकेगा जिस पर वह अभिदाय भविष्य निधि में अभिदाय करने का पात्र होगा :

परंतु यह भी कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य जो । जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् पद ग्रहण करता है, अभिदायी निधि में अभिदाय के लिए पात्र होंगे और पेंशन के लिए नहीं";

(iii) मूल नियम के नियम 7 में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु नियम 6क के अधीन अभिदायी भविष्य निधि में अभिदाय करने वाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य साधारण भविष्य निधि में अभिदाय नहीं करेंगे"।

(iv) मूल नियमों के नियम 10 में उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(2) जब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य की उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवास सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है या वह उसका उपयोग नहीं करता है तो उसे समय-समय पर केन्द्रीय सरकार में समतुल्य वेतनमान के

अधिकारी को यथा अनुज्ञेय प्रतिमाह मकान किराया भत्तों का संदाय किया जा सकेगा।":

(v) नियम 12 के पश्चात् निम्निलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"12क-नियम 4 से 12 तक में किसी बात के होते हुए भी, बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सेवा शर्तें और उन्हें उपलब्ध अन्य परिलब्धियां वही होंगी, जो कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधि नियम, 1954, तथा उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1956 में यथा अंतर्विष्ट उच्च न्यायालयों के सेवारत न्यायाधीश को अनुज्ञेय है:

परंतु यह है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपनी नियुक्ति से तीन मास की अवधि के भीतर या बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2007 के अंतिम प्रकाशन के एक मास के भीतर जो भी बाद में हो उच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायालय के अधीन पेंशन के अपने अधिकार को व्यपगत करने का विकल्प दे . सकोंगे और उस पर वह नियम 6क के अधीन पेंशन या अभिदायी भविष्य निधि का विकुल्प देने के लिए पात्र होगा"।

[फा. सं. 8(28)03-आईपीआर-I(आईपीएबी)] एन. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Industrial Policy & Promotion) NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2007

G.S.R. 623(E).—Whereas, certain draft rules were published, in exercise of the powers conferre by Section 157 of the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999) read with Section 22 of the General clauses Act, 1897 (10 of 1897), vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) number G. S. R. 13(E) dated 11th January, 2005 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of forty-five days from the date on which copies of the Official Gazette containing the notification were made available to the public;

And, whereas, the copies of the Official Gazette containing the aforesaid notification were made available to the public on 11th January, 2005;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (xxix) of sub-section (2) of Section 157 of the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999), the Central Govenment hereby makes the following rules to amend the Intellectual Property Appellate Board (salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 2003 namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Intellectual Property Appellate Board

(Salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairman, Vice-Chairman and members) Amendment Rules, 2007.

- (2) They shall be deemed to have come into force on the 15th day of September, 2003
- 2. In the Intellectual Property Appellate Board (Salaries and Allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 2003 (hereinafter referred to as principal rules)—
- (i) for rule 5 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely:—
 - "5, Leave.—(1) A person, on appointment in the Appellate Board as Chairman, Vice-Chairman or other Member shall be entitled to leave as follows:
 - earned leave at the rate of theirty days for every completed calendar year of service or a part thereof;
 - (ii) half pay leave on medical cetificate or on private affairs, at the rate of twenty days in respect of each completed year of service and the leave salary for half pay leave shall be equivalent to half of the leave salary admissible during the earned leave;
 - (iii) Leave on half pay can be commuted to full pay leave at the discretion of the Chairman, Vice-Chairman or Member, provided it is taken on medical grounds and is supported by a medical certificate from the competent medical authority; and
 - (iv) Extra-ordinary leave without pay and allowances upto a maximum period of one hundred and eighty days in one term of office.
- (2) On expiry of his term of office in the Appellate Board, the Chairman, Vice-Chairman or other Member shall be entitled to receive cash equivalent of leave salary in respect of the earned leave standing to his credit subject to the condition that the maximum of leave encashed under this sub-rule and at the time of retirement from previous service taken together shall not in any case exceed 300 days.";
- (ii) after rule 6 of the principal rules, the following rule shall be inserted, namely:—
 - "6A Pension: (1) Every person appointed to the Appellate Board as the Chairman, Vice-Chairman, or other Member shall be entitled to pension, provided that no such pension shall be payable to such a person if he has been removed from the office in the Appellate Board under sub-section (2) of Section 89 of the Act.
 - (2) Pension under sub-rule (1) shall be calculated at the rate of rupees two thousand three hundred and fifty-eight per annum for every completed six monthly period of service:

Provided that the aggregate amount of pension payable under this rule together with amount of any pension including commuted portion of pension, if any, drawn or entitled to be drawn while holding office in the Appellate Board, shall not exceed the maximum amount of pension prescribed for a Judge of the High Court:

Provided further that the Chairman, Vice-Chairman or any other Member, within a period of three months from the date of his appointment or within one month of final publication of the Intellectual Property Appellate Board (Salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 2007, whichever is later, may, elect to forego his right to pension under these rules whereupon he shall be eligible to subscribe to Contributory Provident Fund:

Provided also that the Chairman, Vice-Chairman or any other Member who enters office on or after 1st January, 2004 shall be eligible to subscribe to Contributory Provident Fund and not to Pension.":

(iii) In rule 7 of the principal rules, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the Chairman, Vice-Chairman and other Member subscribing to the Contributory Provident Fund under rule 6A shall not subscribe to the General Provident Fund.";

- (iv) in rule 10 of the principal rules, for sub-rule (2),the following sub-rule shall be substituted, namely:—
- "(2) When the Chairman, Vice -Chairman or a Member is not provided with, or does not avail himself of the accommodation referred to in sub-rule (1), he may be paid, every month, house rent allowance as may be admissible from time to time to an officer of equivalent pay scale in the Central Government.";
- (v) after rule 12 of the principal rules, the following rule shall be inserted, namely:—
- "12A Notwithstanding anything contained in rules 4 to 12, the conditions of services and other perquisites available to the Chairman or the Vice-Chairman of the Intellectual Property Appellate Board shall be the same as admissible to a serving Judge of a High Court as contained in the High court Judges (Conditions of Services) Act, 1954 and the High Court Judges (Travelling Allowances) Rules, 1956:

Provided that the Chairman or the Vice-Chairman, within a period of three months from the date of his appointment or within one month of final publication of Intellectual Property Appellate Board (salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 2007, whichever is later, may elect to forego his right to pension under the High Court Judges Rules whereupon he shall be eligible to opt for Pension or Contributory Provident Fund under rule 6A".

[F. No. 8(28)03-IPR-I (IPAB)]
N. N. PRASAD, Jt. Secy.

The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 447] No. 447] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 15, 2003/भाद्र 24, 1925 NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 15, 2003/BHADRA 24, 1925

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2003

सा॰का॰िन॰ ७४०(अ).—ब्रौद्धिक संपदा अपील बोर्ड (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते) नियम, 2001 का एक प्रारूप, जिसे व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) की धारा 157 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.िन. 371 (अ), तारीख 18 मई, 2001 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 18 मई, 2001 के पृष्ट-1-3 पर प्रकाशित किया गया था;

आक्षेप और सुझाव, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें वह अधिसूचना प्राकशित की गई थी, जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, 45 दिन की अवधि के भीतर, मांगे गए थे:

बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते) नियम, 2001 का प्रारूप जनता को 31 मई, 2001 को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर . विचार कर लिया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) की घारा 157 की उपधारा (2) के खंड 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्ः-बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते) नियम. 2003

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ . - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते) नियम, 2003 है।

- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं . इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -
 - (क) "अधिनियम" से व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 अभिप्रेत है;
 - (ख) "अपील बोर्ड" से अधिनियम की धारा 83 के अधीन स्थापित अपील बोर्ड अभिप्रेत है।
- 3. वेतन . अध्यक्ष, प्रतिमास तीस हजार रुपए का वेतन पाने का हकदार होगा; उपाध्यक्ष प्रतिमास छब्बीस हजार रुपए का वेतन पाने का हकदार होगा और अन्य सदस्य प्रतिमास बाईस हजार चार सौ रुपए छह सौ छब्बीस हजार रुपऐ के वेतनमान के हकदार होंगे:

परन्तु यह और कि ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है और उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुआ है या केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा से निवृत्त हुआ है और पेंशन या उपदान या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय के रूप में किन्ही सेवानिवृत्ति फायदों को या अन्य रूपों में सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं को प्राप्त कर रहा है या उन्हें प्राप्त कर लिया है अथवा प्राप्त करने का हकदार हो गया है, तो उसके वेतन में से पेंशन या सेवा उपदान या अभिदायी भविष्य निधि के नियोजक के अभिदाय अथवा किसी अन्य रूप में, यदि कोई हो, सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के समतुल्य पेंशन की सकल राशि की कटौती कर दी जाएगी किन्तु उसके द्वारा लिए गए या लिए जाने वाले सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर दिया जाएगा।

- 4. मंहगाई भत्ता और नगर प्रतिकारात्मक भत्ता . अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य मंहगाई भत्ता और नगर प्रतिकारात्मक भत्ता उन दरों पर प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो समतुल्य वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' अधिकारियों को अनुझेय हैं।
- 5. **छुट्टी** . अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 30 दिन की उपार्जित छुट्टी के हकदार होंगे। छुट्टी के दौरान छुट्टी-वेतन के संदाय को केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 के उपबंधों के अधीन विनियमित किया जाएगा।
- 6. **छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी** . अध्यक्ष की दशा में, राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की दशा में, अध्यक्ष छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी होगा।
- 7. भविष्य निधि . अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य अपने विकल्प पर साधारण भविष्य निधि में अभिदाय करने के हकदार होंगे और इस प्रकार विकल्प देने की दशा में वह साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम, 1960 के उपबंधों द्वारा शासित होंगेः

परन्तु यह कि यदि अध्यक्ष अपील बोर्ड में उसके कार्यभार संभालने के ठीक पूर्व किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा ही तो वह उन नियमों द्वारा शासित होगा जो किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को लागू हैं।

- 8. यात्रा भत्ता . अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य जब भारत के भीतर दौरे पर हों याँ स्थानांतरण पर हों (जिसमें बोर्ड में कार्यभार संमालने के लिए स्वयं और कुटुम्ब के द्वारा या बोर्ड में पदावधि के अवसान पर अपने कुटुम्ब के साथ स्वनगर जाने के लिए यात्रा भी सम्मिलित है), तब यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और व्यक्तिगत चीजबस्त के परिवहन के लिए उन्हीं मापमानों और उन्हीं दरों पर, जो समतुल्य वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' अधिकारियों को लागू हैं, हकदार होंगे।
- 9. ष्ट्रिटी यात्रा रियायत . अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य छुट्टी यात्रा रियायत के लिए उसी मापमान और उसी दर पर, जो केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन पाने वाले समूह 'क' अधिकारियों को लागू हैं, हकदार होंगे :

परन्तु यह कि यदि अध्यक्ष किसी उच्च न्यायलय का न्यायाधीश रहा है तो वह छुट्टी यात्रा रियायत के लिए उसी मापमान और उसी दर पर, जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लागू हैं, हकदार होगा।

- 10. वास-सुविधा . (1) अपील बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य के रुप में अपील बोर्ड में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति के साधारण पूल वास-सुविधा से उस टाइप के किसी शासकीय आवास का, जो केन्द्रीय सरकार में समतुल्य वेतन पाने वाले किसी अधिकारी को अनुन्नेय है, उपयोग करने का हकदार होगा।
- (2) जब किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य को उपनियम (1) में निर्दिष्ट साधारण पूल वास -सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है या वह स्वयं उसका उपभोग नहीं करता हैं तो उसे उसके बदले में प्रतिमास उसके वेतन के साढ़े बारह प्रतिशत की रकम के समतुल्य किसी भत्ते का संदाय किया जा सकेगा।
- (3) जहां अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य अनुज्ञेय अवधि के परे किसी शासकीय वास-सुविधा का अधिमोग करता है तो वह यथास्थिति, अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस या शास्तिक किराए का संदाय करने का दायी होगा और केन्द्रीय सरकार (साधारण पूल वास-सुविधा) नियम, 1963 के अनुसार बेदखली का दारी होगा।
- 11. परिवहन . अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य, शासकीय और प्राइवेट प्रयोजनों के लिए यात्राओं के लिए, भारत सरकार के स्टॉफ कार नियमों के अनुसार स्टाफ कार की सुविधा के हकदार होंगे।
- 12. चिकित्सीय सुविधाएं . अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य, अभिदायी स्वास्थ्य सेवा स्कीम नियम, 1954 में यथा उपबंधित चिकित्सीय उपचार और अस्पताल सुविधाओं के हकदार होंगे और उन स्थानों पर

जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ ,सेवा स्कीम प्रवृत्त नहीं है वहां अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य, केन्द्रीय सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1944 में यथा उपबंधित सुविधाओं के हकदार होंगे।

- 13. संवा की अन्य शर्ते . अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की अन्य शुर्ते, जिनकी बाबत इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, ऐसी होंगी जो समतुल्य वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के किसी समूह 'क' अधिकारी को अनुज्ञेय हैं।
- 14. सदस्य के रूप में नियुक्ति पर मूल सेवा से सेवा निवृत्ति .- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य, जो अपील बोर्ड में अपनी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा में था, अपील बोर्ड में अपनी नियुक्ति से पूर्व ऐसी सेवा से सेवा निवृत्ति लेगा।
- 15. शिथिल करने की शक्ति . केन्द्रीय सरकार को व्यक्तियों के किसी वर्ग या वर्गों की बाबत इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल करने की शक्ति होगी।

[फा॰ सं॰ 14 (2)/2000-पीपी एंड सी]

ए० ई० अहमद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Industrial Policy and Promotion) NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2003

G.S.R. 740(E).— Whereas a draft of the Intellectual Property Appellate Board (Salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 2001 was published as required under sub-section (1) of section 157 of the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999), vide notification of the Govt. of India, Ministry of Commerce and Industry No. GSR 371 (E) dated the 18th May, 2001 at pages 3 to 6 of the Gazette of India; Extraordinary Part II, section 3, sub-section (i) dated 18th May, 2001;

Whereas, objections and suggestions were invited within a period of forty-five days from the date of on which the copies of the Official Gazette in which that notification was published, were made available to the public from all persons likely to be affected thereby:

Whereas, the draft of the Intellectual Property Appellate Board (Salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 2001 was made available to the public on 31st May, 2001;

And whereas, the objections and suggestions received from the public with respect to the said draft Rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in the exercise of the powers conferred by clause (xxix) of sub-section (2) of section 157 of the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999), the Central Government hereby makes the following Rules, namely: -

THE INTELLECTUAL PROPERTY APPELLATE BOARD (SALARIES ... AND ALLOWANCES PAYABLE TO, AND OTHER TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE OF CHAIRMAN, VICE-CHAIRMAN AND MEMBERS) RULES, 2003.

- Short Title and Commencement. (1) These rules may be called the Intellectual Property Appellate Board (Salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 2003.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **Definitions.** In these rules, unless the context otherwise requires 2. a)
 - "Act" means the Trade Marks Act, 1999;
 - "Appellate Board" means the Appellate Board established under section b)
- Pay. The Chairman shall be entitled to a pay of Rupees Thirty thousand per month; the Vice-Chairman shall be entitled to a pay of Rupees Twenty-six thousand per month and other Members shall be entitled to a pay in the scale of Rupees Twenty-two thousand four hundred - six hundred - twenty-six thousand per month:

Provided further that in the case of a person who is appointed as the Chairman, the Vice-Chairman or other Member and has retired as a Judge of High Court or retired from service under the Central Government or a State Government and is in receipt of or has received or becomes entitled to receive any retirement benefits by way of pension or gratuity or employer's contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, his pay shall be reduced by the gross amount of pension or pension equivalent to service gratuity or employers' contribution to Contributory Provident Fund or other form of retirement benefits, if any, but excluding pension equivalent to retirement gratuity, drawn or to be drawn by him.

- Dearness Allowances and City Compensatory Allowance. The Chairman, the Vice-Chairman and other Members shall be entitled to dearness allowance and city compensatory allowance at the rates admissible to Group 'A' Officers of the Central
- Leave. The Chairman, the Vice-Chairman and other Members shall be entitled to thirty days earned leave for every year of service. The payment of leave salary during leave shall be governed under the provisions of rule 40 of Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.
- Leave Sanctioning Authority. In case of the Chairman, the President, and in the case of the Vice-Chairman and other Members, the Chairman, shall be the leave sanctioning authority.
- Provident Fund. The Chairman, the Vice-Chairman and other Members shall be entitled to subscribe to the General Provident Fund at his option and in case of his so opting, shall be governed by the provisions of the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960.

Provided that if the Chairman, has been a judge of a High Court immediately before his joining the Appellate Board, he shall be governed by the rules which is applicable to a Judge of a High Court.

- 8. Travelling Allowance. The Chairman, the Vice-Chairman and other Members while on tour within India or on transfer (including the journey undertaken by self and family to join the Board or on the expiry of term with the Board to proceed to his home town with family) shall be entitled to the journey allowance, daily allowance and transportation of personal effect at the same scales and at the same rates as are applicable to a Group 'A' Officer of the Central Government drawing an equivalent pay.
- 9. Leave Travel Concession. The Chairman, the Vice-Chairman and other Members shall be entitled to Leave Travel Concession at the same scale and at the same rate as applicable to Group 'A' Officers of the Central Government drawing an equivalent pay;

Provided that if the Chairman has been a Judge of a High Court he shall be entitled to leave travel concession at the same scale and at the same rate as applicable to the Judge of a High Court.

- 10. Accommodation. (1) Every person appointed to the Appellate Board as the Chairman, the Vice-Chairman or other Member shall be entitled to the use of an official residence from the general pool accommodation of the type admissible to an Officer drawing equivalent pay in the Central Government.
- (2) Where the Chairman, the Vice-Chairman or other Member is not provided with or does not avail himself of the general pool accommodation referred to in sub-rule (1), he may be paid every month an allowance of an amount equal to twelve and half percent of his pay in lieu thereof.
- (3) Where the Chairman, the Vice-Chairman or other Member occupies an official residence beyond the permissible period he shall be liable to pay additional license fee or penal rent, as the case may be, and liable to eviction in accordance with the Central Government (General Pool Accommodation) Rules, 1963.
- 11. Transport. The Chairman, the Vice-Chairman and other Members shall be entitled to the facility of staff car for journeys for official and private purposes in accordance with the staff car Rules of the Government of India.
- Medical Facilities. The Chairman, the Vice-Chairman and other Members shall be entitled to medical treatment and hospital facilities as provided in the contributory Health Service Scheme Rules, 1954 and in places where the Central Health Services Schemes is not in operation, the Chairman, the Vice-Chairman and other Members shall be entitled to the facilities as provided in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.
- Other Conditions of Service. Other conditions of service of the Chairman, the Vice-Chairman and other Members, with respect of which no express provision has been made in these rules, shall be such as are admissible to a Group 'A' Officer of the Central Government drawing an equivalent pay.

- 14. Retirement from Parent Service on Appointment as Member. The Chairman, the Vice-Chairman or other Members who on the date of his appointment to the Appellate Board, was in service under the Central Government or a State Government, shall seek retirement from such service before his appointment to the Appellate Board.
- 15. Power to relax. The Central Government shall have power to relax the provisions of any of these rules in respect of any class or classes of persons.

[F. No. 14(2)/2000-PP&C]A. E. AHMAD, Jt. Secy.